

15.09.25

फ़ावली वेश दुई । वकील ग़र्भी या ग़र्भी
संघ उपस्थित नहीं । बार-बार आवाज लगाने
पर भी उपस्थित नहीं हुए । अतः ग़र्भी का यह
ग़र्भना का अदम पैरवी - अदम हाजिरी में
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है । फ़ावली
बाद तरीब तकमील होकर दाखिल दफ़तर है ।

निर्णय लिखाया जाकर छुले न्यायालय
में सुनाया गया ।


(सुनीलकुमार चौहान)
R.A.S.